न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प, भोपाल म.प्र.

III/निगरानी/सीहोर/भू०रा/2018/2011 निगरानी प्र.कं- ..../18

मनोहरलाल पुत्र श्री श्यामसुदंर सोनी
निवासी–बड़ा बाजार तहसील आष्टा
जिला सीहोर .... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

अमर सिंह पुत्र मुन्नालाल आयु वयस्क
निवासी–डोंगराबाद, अलीपुर तहसील आष्टा
जिला सीहोर म.प्र. .... अनावेदक

अभिभावक श्री .... द्वारा आज दिनांक ..../3/18 को पेश।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय तहसीलदार आष्टा सीहोर द्वारा प्रकरण कं– 126/अ–12/15–16 में पारित आदेश दिनांक 14/06/17 के विरूद्ध निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :–

निगरानी के तथ्य एवं आधार

1. यह कि अनावेदक के द्वारा एक तथाकथित आवेदन पत्र भूमि खसरा कं– 53,60/3, 61/2 रकबा 0.972 स्थित ग्राम डोंगराबाद का सीमांकन किये जाने बावत् तहसीलदार न्यायालय आष्टा जिला सीहोर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो कि प्रकरण कं– 126/अ–12/15–16 के रूप में दर्ज हुआ।

2. यह कि आवेदन के आधार पर आवेदन स्वीकार करते हुये तहसीलदार आष्टा जिला सीहोर के द्वारा अनावेदक का आवेदन स्वीकार करते हुये सीमांकन किये जाने के आदेश पारित किये गये किन्तु न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन रहते हुये कोई विधिक सूचना तहसीलदार न्यायालय आष्टा से निगरानीकर्ता को प्राप्त नही हुआ।

निरंतर....2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक II/निगरानी/सीहोर/भू-रा./2018/2011 जिला - सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार, तहसील आष्टा जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-06-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील आष्टा जिला सीहोर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, सीहोर को भेजा जाता है । कलेक्टर, सीहोर प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 22-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	